प्रेस नोट **12 / 07 / 2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-07-2024 को मु0अ0सं0 406/2014 धारा 354क, 506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्त ओमवीर यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मूसेपुर बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹7,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-07-2024 को मु0अ0सं0 2305/09 धारा 323,376,506,511 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी बड़की बारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं ₹7,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।